<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :— 70 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 04 / 02 / 2014)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– गोहद जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन।

/ / विरूद्ध / /

- 01. रामप्रकाश सोनी पुत्र किशनलाल सोनी उम्र 73 वर्ष
- 02. रामू उर्फ रामानन्द पुत्र रामप्रकाश सोनी उम्र 39 वर्ष निवासीगण :— वार्ड कमांक 11 बड़ा बाजार गोहद, थाना :— गोहद, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभुियक्तगण

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 31/05/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण रामू उर्फ रामानन्द एवं रामप्रकाश पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 24/01/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे रघुनाथ जी का बाड़ा गोहद में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी संतोष राठौर को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी संतोष राठौर की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी संतोष की लाठी एवं लात—घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी संतोष को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि आरोपी आनन्द की प्रकरण के विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है और इस कारण प्रकरण उसके विरूद्ध उपशमित हो चुका है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 24/01/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे रघुनाथ जी का बाड़ा गोहद में, आरोपीगण आनंद, रामप्रकाश एवं रामू द्वारा फरियादी संतोष से गाली—गलौच करने, उसकी लात—घूसों एवं डण्डों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी संतोष राठौर द्वारा उसी दिनांक शाम 05:45 बजे थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 29/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी/आहत संतोष, साक्षी परशुराम, रामप्रकाश एवं लोटन सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त रामप्रकाश एवं रामानन्द सोनी के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूटा फॅसाया जाना व्यक्त किया एवं प्रतिरक्षा साक्षी/आरोपी रामानंद सोनी प्रति.सा.01 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपीगण रामप्रकाश एवं रामानन्द ने दिनांक :— 24/01/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे रघुनाथ जी का बाड़ा गोहद में, जो कि एक लोकस्थान है, फरियादी संतोष राठौर को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?
- 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी संतोष राठौर की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी संतोष की लाठी एवं लात—घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?
- 03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी संतोष को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
 - 04. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष विचारणीय प्रश्न कमांक :- 01 लगायत 03

- 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु कं. 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. फरियादी संतोष अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह हाजिर अदालत आरोपीगण रामप्रकाश, आनन्द एवं रामू सोनी को जानता है, वह उसके

पास में ही रहते है। घटना दिनांक : 24/01/2014 के शाम लगभग 05:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसका सोने—चॉदी का काम है, वह उक्त दिनांक को अपना सोने गलवाने रघुनाथ जी के बाड़े में गया था। वह रघुनाथ जी के बाड़े से अपना सोना गलवाकर वापस लौट रहा था, तभी आरोपी रामप्रकाश उससे बोला कि गाड़ी के रूपये दे दो, उसने रामप्रकाश से कहा कि उसने रूपये उसके लड़के को दे दिये है, तभी रामप्रकाश ने उसका गला पकड़कर पटक लिया और मादरचोद—बहनचोद की गालिया दी, तभी आनंद एवं रामू डण्डा लेकर आ गये थे। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी रामू ने एक डण्डा मारा जो उसके बाये पैर के अंगूठे में लगा। फिर आनंद ने एक डण्डा उसके बाये पैर के घुटने में लगा। उसके बाद तीनों आरोपीगण उसकी लात—घूसों से मारपीट करने लगे। आरोपीगण ने उसे मॉ—बहन की गालियॉ एवं जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गोहद में की थी, जो प्र. पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा—मौका प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

09. साक्षी रामप्रकाश अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह हाजिर अदालत आरोपीगण रामप्रकाश, आनन्द एवं रामू सोनी को जानता है, वह फरियादी संतोष को भी जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 14/03/2016 से लगभग दो साल पहले की शाम लगभग 04:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह बाजार से अकेला आ रहा था, संतोष रघुनाथ जी के बाड़े से आ रहा था। तभी तीनों आरोपीगण रामप्रकाश, आनंन्द एवं राजू सोनी ने संतोष को मादरचोद—बहनचोद की गालियाँ दी। गालियाँ देने के बाद आरोपी रामू ने एक लाठी मारी, जो संतोष के पैर में लगी एवं आनन्द ने लाठी मारी जो उसके पैर के घुटने में लगी। उसके बाद आरोपी रामप्रकाश ने संतोष की लात—घूसों से मारपीट की। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद वह बीच—बचाव कर घर चला गया था। संतोष अपने घर की ओर चला गया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी रामप्रकाश अ.सा.04 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने और परशुराम राठौर ने जब संतोष को बचाया तो तीनों आरोपीगण धमकी देते हुए चले गये कि मादचोद आज तो बच गया, आइंदा जान से खत्म कर देगें।

10. मुख्य परीक्षण के पद कमांक 02 में फरियादी संतोष अ.सा.03 का कहना है कि आरोपी रामू ने उसके बाये पैर के अंगूठे में एक डण्डा मारा एवं आरोपी आनन्द ने उसके बाये पैर के घुटने में एक डण्डा मारा। प्रति—परीक्षण के पद कमांक 06 में भी फरियादी संतोष अ.सा.03 द्वारा पुनः यह दोहराया गया है कि उसके पैर के अंगूठे में आरोपी रामू ने लाठी से चोट कारित की। प्रति—परीक्षण के पद कमांक 05 में भी संतोष अ.सा.03 का कहना है कि मारपीट में उसके बाये पैर के अंगूठे, घुटने में एवं पीठ में चोट आई थी। जबकि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना प्र.पी.04 में उसके बाये पैर के अंगूठे में रामू द्वारा चोट कारित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, बित्क

प्र.पी.04 में रामू द्वारा उसके बाये हाथ के अंगूठे में चोट कारित होने का उल्लेख है। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक ०६ में संतोष अ.सा.०३ ने स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया है कि आरोपी रामू ने उसके हाथ के अंगूठे में कोई चोट कारित नहीं की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में संतोष अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसके द्व ारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में यदि यह ना लिखा हो कि रामू ने उसे डण्डा मारा, जो उसके बाये पैर के अंगूठे में लगा, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। साक्षी आगे कहता है कि यदि उक्त रिपोर्ट में रामू द्वारा डण्डा उसके बाये हाथ के अंगूठे में मारने का तथ्य लिखा हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। प्रति-परीक्षण के पद कमांक 06 में संतोष अ.सा.03 का कहना है कि उसने पुलिस को कथन देते समय यह बता दिया था कि आरोपी रामू ने उसके पैर के अंगूठे में डण्डा मारा था यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि संतोष अ.सा.03 के पुलिस कथन प्र.डी.01 में ए से ए भाग के मध्य इस तथ्य का उल्लेख है कि आरोपी रामू ने उसके बाये हाथ के अंगूठे में डण्डा मारा। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक सहायक उपनिरीक्षक उमाकान्त अ.सा.०५ ने भी प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि फरियादी संतोष ने आरोपी रामू द्वारा उसके बाये पैर के अंगूठे में डण्डा मारने वाली बात नहीं लिखाई थी। इस प्रकार आहत संतोष अ.सा.03 को आरोपी रामू द्वारा बाये हाथ के अंगूठे में चोट कारित की गई थी अथवा बाये पैर के अंगूठे में, इसं वावत् संतोष अ.सा.03, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक उमाकान्त अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, संतोष द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 एवं संतोष के पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि अभियोजन कथा को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

- 11. मुख्य परीक्षण एवं प्रति—परीक्षण में आहत संतोष अ.सा.01 आरोपी रामू द्वारा उसके बाये पैर के अंगूठे में एवं मृत आरोपी आनन्द द्वारा उसके बाये पैर के घुटने में चोट कारित करना बताता है। जबिक आहत संतोष अ.सा.03 का चिकित्सीय परीक्षण करने वाली डॉ.विमलेश गौतम अ.सा.01 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आहत संतोष अ.सा.03 के बाये हाथ के अंगूठे में, बाये हाथ की कलाई में एवं उसके दाहिने हाथ की कोहनी में चोट होने का उल्लेख किया है, ना कि बाये पैर के अंगूठे में या बाये पैर के घुटने में। डॉ.विमलेश गौतम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य इस वावत् प्रति—परीक्षण उपरांत भी अखिण्ड़त रहा है और उनके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उनके द्वारा तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। इस प्रकार आहत संतोष अ.सा.03 के शरीर के किन भागों में चोट कारित हुई थी, इस वावत् आहत संतोष अ.सा.03 एवं उसका चिकित्सीय परीक्षण करने वाली डॉक्टर विमलेश गौतम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एक—दूसरे के पूर्णतः प्रतिकूल है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को अत्यंत गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।
- 12. प्रति–परीक्षण के पद कमांक 05 में फरियादी संतोष अ.सा.03 का कहना है कि ६

ाटना के समय घटनास्थल पर 25-30 लोग एकत्रित हो गये थे। जबकि प्रकरण के विवेचक राजपाल सिंह अ.सा.06 का उसके प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि फरियादी संतोष ने उसे घटना के समय 20-25 लोगों के उपस्थित होने वाली बात नहीं लिखाई थी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के संबंध में संतोष अ.सा.०३ एवं विवेचक राजपाल अ.सा.०६ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य विरोधाभाष है। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 08 में फरियादी संतोष अ.सा.03 का कहना है कि पुलिस ६ ाटना के दूसरे दिन अर्थात् दिनांक : 25/01/2014 को शाम 05:00 बजे घटनास्थल पर आई थी और उसी समय नक्शा–मौका प्र.पी.05 बनाया था। जबकि नक्शा–मौका प्र. पी.05 में उक्त दस्तावेज बनाये जाने का समय 15:00 बजे अर्थात दोपहर 03:00 बजे का होना दर्शित है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के संबंध में संतोष अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं नक्शा–मौका प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य विरोधाभाष है। इसी प्रकार घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी रामप्रकाश अ.सा.04 ने उसके मुख्य परीक्षण एवं प्रति-परीक्षण में आरोपी रामू द्वारा फरियादी संतोष के पैर में एवं आरोपी आनंद द्वारा उसके पैर के घुटने में लाठी मारने का तथ्य बताया है। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 04 में रामप्रकाश अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि उसने उसके पुलिस कथन प्र.डी. 02 में यह बता दिया था कि आरोपी रामू ने संतोष के बाये पैर में लाठी मारी थी, यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 में ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। इसी प्रकार रामप्रकाश अ.सा.०४ का यह भी कहना है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि आरोपी रामू ने संतोष के बाये हाथ के अंगूठे में डण्डा मारा था, जबिक उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसके ए से ए भाग के मध्य आरोपी रामू द्वारा संतोष के बाये हाथ के अंगूठे में डण्डा मारे जाने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध साक्षी रामप्रकाश अ.सा.०४ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

- 13. साक्षी परसराम अ.सा.02 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इसलिए उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता है।
- 14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण रामू उर्फ रामानन्द एवं रामप्रकाश ने दिनांक :— 24/01/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे रह पुनाथ जी का बाड़ा गोहद में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी संतोष राठौर को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी संतोष राठौर की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी संतोष की लाठी एवं लात—घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी संतोष को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण आरोपीगण रामू उर्फ रामानन्द एवं रामप्रकाश के विरूद्ध धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद